न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 81 / 2019

1 सुमन देवी आयु 46 साल पत्नी जितेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 रविन्द्र कुमार आयु 50 साल पुत्र रामकुमार सिंह जाति जाट निवासी नाहरसिंघानी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 महावीर पुत्र बिशना
2 जगदीश पुत्र बिशना
3 प्यारेलाल पुत्र बिशना
4 रामरख पुत्र बिशना
5 बलवीर पुत्र बिशना
6 सुरेन्द्र पुत्र बिशना
7 मु. चावली पत्नी बिशना
समस्त जाति जाट निवासीगण कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. ।
8 मु शारदा पुत्री बिशना पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी हमीरी कलां तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
9 प्रेमा उर्फ प्रेमचन्द पुत्र झाबर जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 घनश्याम पुत्र राधेश्याम
11 मु. शारदा पत्नी त्रिलोकचन्द
12 रविन्द्र पुत्र त्रिलोकचन्द
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
13 मु. गुजन आयु 8 साल पुत्री त्रिलोकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. नाबालिग जरिये बली कुदरती मु.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

शारदा पत्नी त्रिलोकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। माता खुद

14 मदनलाल पुत्र राधेश्याम

15 मु. प्रभाती पत्नी राधेश्याम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

16 बनवारीलाल पुत्र मीठूराम जाति भाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

17 बबीता पुत्री मोहनलाल

18 बबली पुत्री मोहनलाल

19 मीना पुत्री मोहनलाल

20 नेकीराम पुत्र मोहनलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाण्ड मण्डी, भाट कॉलोनी जिला कैथल, हरियाणा।

21 लालचन्द पुत्र मीठूराम

22 ताराचन्द पुत्र मीठूराम

23 मेहरचन्द पुत्र मीठूराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

24 राजस्थान भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

25 मु. चनकोरी पत्नी शिवपाल सिंह जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. दावा
उनवानी बिशना बनाम घनश्याम आदि बाबत घोषणा,
दुरूस्ती रिकार्ड व बंटवारा मु.नं. 30/2006 निर्णय व डिक्री
दिनांक 06.02.2007

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

-निर्णय-

दिनांकः- 11/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2006 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि स्व. बिशना व रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 10 तथा स्व. त्रिलोकचन्द व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 23 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां उक्त उनवानी दावा जमीन हाल खसरा नम्बर 890, 1122/6 (2088/1122), 1247, 1835/888 सरहद मौजा कारी तहत तहसील नवलगढ़ के बाबत किया। स्व. बिशना दावा में बतौर वादी सं. 1 पक्षकार रहा है। स्व. बिशना के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 है। दावा के प्रतिवादी संख्या 2 त्रिलोकचन्द के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13 है। विचारण न्यायालय ने स्व. बिशना व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत दावा को निर्णित कर बहक स्व. बिशना व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 दिनांक 06.02.2007 को डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने जमीन हाल खसरा नम्बर 1247 रकबा 3.19 हैक्टेयर में से 0.19 है. के खातेदार काश्तकार स्व. बिशना व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को घोषित करने में कानूनी गलती की है। दावा दायरी के रोज व निर्णय व डिक्री पारित होने के रोज व वर्तमान में उक्त 0.19 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर स्व. बिशना तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 व 9 का भौतिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कब्जा काश्त नहीं है तथा न रहा है। कानून से कब्जे के अभाव में खातेदारी हकुको की घोषणा नहीं की जा सकती। दावा के वादीगण की तरफ से दावा में यह कथन किया गया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1247 सरहद मौजा कारी अविभाजित है और अविभाजित भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की है और विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाये और बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये निर्णय कर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। कानून से विभाजन के दावे में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना अंतिम डिक्री जारी नहीं हो सकती। स्व. बिशना व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने दावा में यह तथ्य प्लीड किया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1247 रकबा 3.19 हैक्टेयर सरहद मौजा कारी में 0.19 हैक्टेयर भूमि उनकी खातेदारी की ह। इसके अलावा यह कथन किया कि गत व हाल खसरा नम्बर की ताईद गत व हाल नक्शासीट से होती है। दावा के वादीगण ने अपने दावा में यह प्लीड नही किया कि हाल खसरा नम्बर 12417 में उनके हक हिस्से की 0.19 हैक्टेयर भूमि किस दिशा में स्थित है। दावा के वादीगण ने अपने दावा में स्पष्ट रूप से यह भी दर्ज नहीं किया कि उक्त 0.19 हैक्टेयर क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1247 की भूमि में कितनी लम्बाई व चौड़ाई का स्थित है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने मौके के विभाजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही दावें को अंतिम रूप से डिक्री कर तथ्य व विधि की भूल की है। दावा के वादीगण ने जमीन हाल खसरा नम्बर 1247 तादादी 3.19 है. में से 0.19 है. क्षेत्रफल की वस्तुस्थिति कब्जे काश्त की साबित नहीं किया। खसरा नम्बर 1247 को नक्शा किश्तवार सन 1979–80 नापा जाता है तो मौके पर खसरा नम्बर 1247 कर रकबा 3.19 हैक्टेयर नहीं बनता है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना नाप करवाये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 24 के द्वारा विधिवत विभाजन करने के बाद निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2007 की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1158 के कम में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

पटवारी हल्का ने दिनांक 17.05.2018 को नक्शा में अंकन कर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 2367/1247, 2368/1247 की उतरी सीमा पर खेत खसरा नम्बर 2196/1247 रकबा 0.19 हैक्टेयर कायम किया। अपीलान्टस को दिनांक 05.08.2019 को पटवारी हल्का से नक्शा व जमाबंदी की नकल लेने पर उपरोक्त जानकारी हुई। इस पर जानकारी कर अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री के बारे में ज्ञान हुआ। निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2007 से अपीलान्ट प्रभावित है। उक्त निर्णय व डिक्री का अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा में गलत किया गया है। निर्णय व डिक्री जैर बहस दिनांक 06.02.2007 से अपीलान्टस प्रभावित है। अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 की भूमि का अंकन कर दिया जो गलत है। इस कारण अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र ईजाजत हेतु अलग से प्रस्तुत है। निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2007 की अपीलान्टस को कभी भी कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलान्टस विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। निर्णय व डिक्री की पालना के कम में राजस्व एजेन्सी ने नक्शा सीट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 की तथाकथित खातेदारी की जमीन का अंकन दिनांक 17.05.2018 को गलत किया। अपीलान्टस ने दिनांक 05.08.2019 को पटवारी हल्का से नक्शा व जमाबन्दी की नकल ली तब उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई। इस पर पटवारी हल्का से जानना चाहा तो पटवारी हल्का ने उपरोक्त अंकन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2007 की पालना के कम में होना बताया। इस पर जानकारी कर निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की गई जो तैयार होकर दिनांक 14.08.2019 को मिली। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम कारी संवत 2028 से 2031 प्रदर्श 3 के मुताबिक भूमि गत खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

540, 641, 672, 674, 550/2 कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी भगवानाराम पुत्र झाबरमल के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 550/1 रकबा 7 बीघा 15 बिश्वा की खातेदारी बिशना प्रेमा पुत्र झाबर के नाम यानि वादी के नाम दर्ज है। उक्तानुसार नकल जमाबंदी प्रदर्श 4 में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 के मुताबिक हाल खसरा बनना प्रमाणित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी ग्राम कारी प्रदर्श पी–4 व पी–9, 10, पी11, पी 12, पी13, पी14, पी18, पी19, पी20 व पी 21 में अंकन है। भू–प्रबन्धक विभाग की खतौनी रजिस्टर पी6, पी7 इस संबंध में पूर्व वाद संख्या 51/94 निर्णय दिनांक 31.5.97 प्रदर्श पी16 व डिकी पी17 की प्रमाणित प्रति पेश की। मुताबिक निर्णय दिनांक 31.05.97 के राजस्व रिकार्ड से जमाबंदी संख्या 2050 से 2053 में अंकन हुआ। इससे भूमि पैतृक होना पूर्णतया साबित है। तथा प्रतिवादीगण ने बावजूद तामील अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कियें। वादीगण द्वारा पेश की गई शहादत व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण का वाद सिद्ध होना पाया जाता है। अपीलांट विवादित भूमि में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख वर्ष 2016 में विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में होना स्वयं कथन कर रहे है जबकि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2007 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। विचाराधीन निर्णय के समय अपीलांट का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार प्रकट नहीं होता है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज की जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016–17 सप्ली. पेज 473, आरआरटी 2017(1) पेज 613, आरआरटी 2017(1) पेज 634 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख वर्ष 2016 में विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में होना स्वयं कथन कर रहे है जबकि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2007 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। विचाराधीन निर्णय के समय अपीलांट का विवादित भूमि से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई संबंध सरोकार प्रकट नहीं होता है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अनुसार नकल जमाबंदी ग्रामं कारी संवत 2028 से 2031 प्रदर्श 3 के मुताबिक भूमि गत खसरा नम्बर 540, 641, 672, 674, 550/2 कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी भगवानाराम पुत्र झाबरमल के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 550/1 रकबा 7 बीघा 15 बिश्वा की खातेदारी बिशना प्रेमा पुत्र झाबर के नाम यानि वादी के नाम दर्ज है। उक्तानुसार नकल जमाबंदी प्रदर्श 4 में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 के मुताबिक हाल खसरा बनना प्रमाणित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी ग्राम कारी प्रदर्श पी–4 व पी–9, 10, पी11, पी 12, पी13, पी14, पी18, पी19, पी20 व पी 21 में अंकन है। भू–प्रबन्धक विभाग की खतौनी रजिस्टर पी6, पी7 इस संबंध में पूर्व वाद संख्या 51/94 निर्णय दिनांक 31.5.97 प्रदर्श पी16 व डिक्री पी17 की प्रमाणित प्रति पेश की। मुताबिक निर्णय दिनांक 31.05. 97 के राजस्व रिकार्ड से जमाबंदी संख्या 2050 से 2053 में अंकन हुआ। इससे भूमि पैतृक होना पूर्णतया साबित है। तथा प्रतिवादीगण ने बावजूद तामील अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किये। वादीगण द्वारा पेश की गई शहादत व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण का वाद सिद्ध होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट विवादित भूमि में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख वर्ष 2016 में विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में होना स्वयं कथन कर रहे है जबकि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2007 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। विचाराधीन निर्णय के समय अपीलांट का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार प्रकट नहीं होता है एवं अपीलांट ने विलम्ब का संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर